



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-212

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 294192 दिनांक 26/04/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Babu Lal Choudhari S/o Kanaram Choudhary एवं Pratap Yadav S/o Hanuman Sahay	श्री कृष्ण बिहारी विजय पुत्र श्री घनश्याम प्रसाद विजय	104	167.20 SQ. METER	Private	PARSAVNA TH NARAYAN CITY Sector/Block-C	Sub Division and Reconstitution	आवेदक श्री बाबु लाल चौधरी एवं श्री प्रताप यादव द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निजी खातेदारी की योजना पार्श्वनाथ नारायण सिटी सी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 104 क्षेत्रफल 200 वर्ग मी का उपविभाजन किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। निजी खातेदारी की योजना पार्श्वनाथ नारायण सिटी सी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 104 क्षेत्रफल 200 वर्ग मी का पट्टा श्री कृष्ण बिहारी विजय पुत्र श्री घनश्याम प्रसाद विजय के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान श्रीमती तूलीका



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

वासु पत्नी श्री संजय वासु को करने पर कार्यालय द्वारा इनके नाम हस्तान्तरण पत्रांक डी-536 दिनांक 28.02.2023 को जारी किया जा चुका है। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 20.04.2026 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड सम्पूर्ण का बैचान आवेदक श्री बाबु लाल चौधरी एवं श्री प्रताप यादव को किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Babu Lal Choudhari S/o Kanaram Choudhary एवं Pratap Yadav S/o Hanuman Sahay को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |